न्यायालय : विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, खैरथल,

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र व्यास, "R.J.S."

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 230/2026, सी.आई.एस. नं. 60/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 29/2026, पुलिस थाना खैरथल

अपराध अंतर्गत धारा 137(2), 96, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट, सेशन प्रकरण संख्याः-244/2026

1. मोहित कुमार पुत्र रामसिंह, निवासी दादरहेड़ा, नूरनगर, थाना किशनगढ़बास, जिला अलवर, हाल जिला खैरथल-तिजारा, राज0 ।

.....प्रार्थी/सुपुर्ददार

बनाम

राजस्थान राज्य .....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र बाबत् सुपुर्द करने

वाहन इलेकट्रीकल स्कूटी रजि0 नं0 आरजे.02 डीबी-6813

उपस्थित :-

1. श्री प्रदीप कुमार, श्री कर्मवीर सिंह अधिवक्तागण, प्रार्थी/सुपुर्ददार की ओर से।
2. लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक : 02.06.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/सुपुर्ददार की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जा रहा है, जिसके अनुसार दौराने अनुसंधान जब्तशुदा वाहन इलेकट्रीकल स्कूटी रजि0 नं0 आरजे.02 डीबी-6813 को सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया गया।

2. बहस सुपुर्दगीनामा प्रार्थना-पत्र पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थी जप्तशुदा उक्त वाहन का रजिस्टर्ड ऑनर है एवं थाने में खड़े रहने से वाहन के खराब होने का अंदेशा है, अतः प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रकट किया गया कि मुताबिक पत्रावली उक्त जप्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना प्रकट है, क्योंकि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर नियत है तथा प्रकरण में गवाह पी0ड01 लगा0 6 की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है, अतः प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश फरमाने का निवेदन किया ।

3. पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वाहन इलेकट्रीकल स्कूटी रजि0 नं0 आरजे.02 डीबी-6813, जिसको अभियुक्त दीपक उर्फ गोल्डी द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया है को दौराने अनुसंधान जब्त किया गया है। वाहन पंजीयन प्रमाणानुसार

प्रार्थी उसका रजिस्टर्ड स्वामी है। अभी प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर है एवं मुताबिक पत्रावली उक्त जप्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना प्रकट है तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है व लम्बे समय तक वाहन सुपुर्दगी पर नहीं देने से वाहन अनुपयोगी हो जावेगा। जब्तशुदा वाहन को दिनांक 16-01-2026 को जब्त किया गया था, जो अभी तक थाने में जब्त है। उक्त समस्त परिस्थितियों में उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन इलेकट्रीकल स्कूटी की एवज में 50,000/- रुपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानतनामा निम्न शरायतों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये तो प्रार्थना पत्र में उल्लेखित (फर्द जब्ती अनुसार) वाहन इलेकट्रीकल स्कूटी रजि0 नं0 आरजे.02 डीबी-6813, प्रार्थी को अस्थायी रूप से सुपुर्द किया जावे, बशर्त किसी अन्य प्रकरण में रोके जाने की आवश्यकता नहीं हो :-

(i). कि प्रार्थी उक्त वाहन को इस प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को किसी भी माध्यम से अंतरित नहीं करेगा,

(ii). कि प्रार्थी उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा तथा ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिनसे उनकी पहचान न हो तथा उनकी कीमत कम हो,

(iii). कि प्रार्थी से उक्त वाहन को आहूत किये जाने पर वह अपने खर्चे व हर्जे से न्यायालय अथवा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष लाकर पेश कर देगा।

(iv). यदि प्रकरण के अंतिम निर्णय में जब्तसुदा वाहन राज्यसात होता है, तो उस स्थिति में प्रार्थी से वाहन की वर्तमान कीमत तथा सुपुर्दगीनामा में लेने से लेकर राज्यसात होने की अवधि में वाहन को उपयोग में लेने के आधार पर हर्जाना जो भी न्यायालय तत्समय तय करेगा, उसे अदा करने के लिए अपने आपको बाध्य करेगा।

उन्मोचन आदेश पर लाल स्याही से इस आशय का नोट लगाया जावे कि संबंधित थानाधिकारी उक्त वाहन को उक्त प्रार्थी/सुपुर्ददार को सुपुर्द करने से पूर्व वाहन के चारों तरफ से चार रंगीन केबिनेट साईज के छायाचित्र भी खिंचवायेगा, जिसमें वाहन के इंजन, चैसिस नंबर स्पष्ट दिखाई दे, तत्पश्चात नियमानुसार पंचनामा बनाकर प्रार्थी को उक्त वाहन बएवज रसीद सुपुर्द करे। छायाचित्र का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा।

(शैलेन्द्र व्यास)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा

5. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(शैलेन्द्र व्यास)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
खैरथल, जिला खैरथल-तिजारा